अभिलेख उपस्थापित।

14/10/2020 राजस्व उप निरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से मौजा चमगड़ा खाता न० 20 प्लौट 309 व अन्य रकबा 19.04 डि० भूमि का प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख के संलग्न है।

उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा चमगड़ा खाता न० 20 खतियानी रैयती भूमि है, जिसका सिमांकन हेतु आवेदक हुसनैन अली पिता मो० सिराज द्वारा आवेदन देकर सिमांकन करने की मांग किया गया लेकिन आफताब बख्तियार अहमद ग्राम चमगड़ा के द्वारा आपत्ति दर्ज कराया गया कि आवेदक द्वारा गलत कागजात के आधार पर भूमि पैमाइश की मांग की गई है। जिसके कारण भूमि का सिमांकन करना संभव प्रतीत प्रतित नहीं होने का मंतव्य राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दिया गया है। जिसपर अंचल निरीक्षक ने भी अपना मंतव्य उल्लेखित किया है कि मौजा चमगड़ा के खाता 20 की भूमि पर आवेदक हुसनैन अली एवं आपत्तिकर्तागण द्वारा निबंधित दलील के आधार पर दावा किया जा रहा है जो उक्त मामला स्वत्व वाद से संबंधित प्रतीत होता है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से ही संभव है। एवं तत्काल मापी पर रोक लगाने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः उक्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य के आलोक में इस आलोच्य की कार्रवाई बन्द की जाती है।

अंचल अधिकारी
रंगाबाद